कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 217 / 33-1 / उरई, दिनांक, अगस्त 10 2016।

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
उरई।

विषयः– **जनपद–जालौन में जालौन से उरई (बिलरायां–पनवाडी राजमार्ग संख्या–21 के कि0मी0 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुए झॉसी–भोगनीपुर–कानपुर मार्ग, एन0एच0–27 के कि0मी0 218.400 तक) फोनलेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भः– **कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ का पत्र सं0–287/11सी./एफ.पी./यू.पी./रोड़/17575/2016 दिनांक 09.08.2016।**

उक्त विषयक परियोजना में मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थान पर उचित वृक्षारोपण तथा प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि सम्बन्धी मांग पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 183/33–1 दिनांक 05.08.2016 द्वारा (क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि रू0 27957700.00 + एन0पी0वी0 रू0 22357183.00) कुल धनराशि रू0 50314883.00 का प्रेषित किया गया था। जिसके कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के सन्दर्भित पत्रांक द्वारा भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 1 के अनुसार प्रभावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 71.43 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि का मांग पत्र प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः 71.43 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु धनराशि रू0 9750000.00 तथा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 22357183.00 कुल धनराशि रू0 32107183.00 (तीन करोड़ इक्कीस लाख सात हजार एक सौ तिरासी रूपया मात्र) का संशोधित मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार धनराशि जमा कर पावती रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस.. (जो भी लागू हो) की छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

(भीमसेन)
मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0, झॉसी को संदर्भित पत्र के पृष्ठांकन के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीमसेन)
मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।